

का.आ.सं. Office Order No. HO/015/002

दिनांक / Date: 29.03.2025

विषय - महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों को निर्धारित करने की नीति

Sub: Policy for Determining Material Subsidiaries.

संदर्भ - कार्यालय आदेश सं. प्रका/015/001 दिनांक 11.03.2024

Ref: Office Order No. HO/015/001 dated 11.03.2024

-o0o-

1.0 परिचय / Introduction

- 1.1 यह नीति भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ("बीईएल/कंपनी") की महत्वपूर्ण सहायक कंपनी निर्धारित करने और ऐसी सहायक कंपनियों को प्रशासनिक तंत्र प्रदान करने के लिए सेबी (सूचीबद्धता की बाध्यताएं और प्रकटन की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (जिसे यहां इसके बाद "सेबी सूचीबद्धता विनियम" कहा गया है) के विनियमन 16 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की गई है।

This Policy is formulated in pursuance of the requirements of Regulation 16 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") to determine the Material Subsidiary of Bharat Electronics Limited ("BEL/Company") and to provide a governance mechanism for such Subsidiaries.

- 1.2 इस नीति में प्रयुक्त सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जब तक कि यहां इसके बाद परिभाषित न हो, का अर्थ सेबी सूचीबद्धता विनियमों के तहत उन्हें क्रमशः दिए गए अर्थों से होगा तथा उसकी परिभाषा या स्पष्टीकरण न होने पर, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत समय-समय पर यथा संशोधित बनाए गए/जारी किए गए नियमों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों के अनुसार होगा।

All the words and expressions used in this Policy, unless defined hereafter, shall have meaning respectively assigned to them under the SEBI Listing Regulations and in the absence of its definition or explanation therein, as per the Companies Act, 2013 ("Act") and the Rules, Notifications and Circulars made/issued there under, as amended, from time to time.

- 1.3 इस नीति को दिनांक 27 मई, 2016 को मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और इसके आगे के संशोधनों को दिनांक 27 जुलाई, 2023 और 30 जनवरी, 2025 को आयोजित मंडल की बैठकों में अनुमोदित किया गया।

The Policy was approved by the Board on 27th May, 2016 and further amendments were approved in the Board meeting held on 27th July, 2023 and 30th January, 2025.

2.0 परिभाषा / Definitions

- 2.1 "लेखापरीक्षा समिति" से आशय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 18 और सीपीएसई के कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी डीपीई के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा गठित समिति से है।

"Audit Committee" means the Committee constituted by the Board of Directors of the Company in accordance with the provisions of Section 177 of the Companies Act, 2013, Regulation 18 of SEBI Listing Regulations and DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs.

- 2.2 "महत्वपूर्ण सहायक कंपनी" से आशय विनियम 16(1) (सी) के संदर्भ में ऐसी सहायक कंपनी से है जिसका कारोबार या निवल मालियत ठीक पिछले लेखा वर्ष में क्रमशः बीईएल और उसकी सहायक कंपनियों के समेकित कारोबार या निवल मालियत के दस प्रतिशत (10%) से अधिक है।

"Material Subsidiary" means, in terms of Regulation 16(1)(c), a Subsidiary, whose turnover or net worth exceeds ten percent (10%) of the consolidated turnover or net worth respectively, of BEL and its Subsidiaries in the immediately preceding accounting year.

- 2.3 "निवल मालियत" से आशय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (57) में यथा परिभाषित निवल मालियत से है।

"Net Worth" means net worth as defined in Section 2 (57) of the Companies Act, 2013.

- 2.4 "महत्वपूर्ण लेनदेन या व्यवस्था" से आशय ऐसे वैयक्तिक लेनदेन या व्यवस्था से है जो ठीक पिछले लेखा वर्ष में गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी के कुल राजस्व या कुल व्यय या कुल परिसंपत्तियों या कुल देयताओं, जैसा मामला हो, के 10% से अधिक हो या होने की संभावना हो।

"Significant Transaction or Arrangement" shall mean any individual transaction or arrangement that exceeds or is likely to exceed 10% of the total revenues or total expenses or total assets or total liabilities, as the case may be, of the unlisted subsidiary for the immediately preceding accounting year.

- 2.5 "गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी" से आशय ऐसी सहायक कंपनी से है जिसकी प्रतिभूतियां किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।

"Unlisted Subsidiary" means subsidiary whose securities are not listed on any recognized Stock Exchanges.

3.0 नीति और प्रक्रिया / Policy and Procedure

- 3.1 कंपनी से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक गैर-सूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के मंडल में निदेशक होंगे चाहे वह भारत में निगमित हो या न हो।

At least one Independent Director of the Company shall be a Director on the Board of the unlisted material subsidiary whether incorporated in India or not.

स्पष्टीकरण - केवल इस प्रावधान के प्रयोजनार्थ, विनियम 16 (1) (सी) में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी, पदबंध 'महत्वपूर्ण सहायक कंपनी' से आशय एक ऐसी सहायक कंपनी से होगा जिसका कारोबार या निवल मालियत ठीक पिछले लेखा वर्ष में क्रमशः सूचीबद्ध स्वत्व और उसकी सहायक कंपनियों के समेकित कारोबार या निवल मालियत के बीस प्रतिशत (20%) से अधिक हो।

Explanation: Only for the purposes of this provision, notwithstanding anything to the contrary contained in regulation 16 (1) (c), the term "Material Subsidiary" shall mean a subsidiary, whose turnover or net worth exceeds twenty percent (20%) of the consolidated turnover or net worth respectively, of the listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year.

- 3.2 कंपनी की लेखापरीक्षा समिति कंपनी की गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से, उसके द्वारा किए गए निवेश की भी समीक्षा करेगी।

The Audit Committee of the Company shall also review the financial statements, in particular, the investments made by the unlisted subsidiary of the Company.

- 3.3 गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी के मंडल की बैठकों का कार्यवृत्त नियमित अंतराल पर कंपनी के मंडल की बैठक में रखा जाएगा।

The minutes of the Board meetings of the unlisted subsidiary company shall be placed at the Board meeting of the Company at regular intervals.

- 3.4 गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी का प्रबंधन गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेनदेन और व्यवस्थाओं का विवरण समय-समय पर कंपनी के निदेशक मंडल के ध्यान में लाएगा।

The management of the unlisted subsidiary shall periodically bring to the notice of the Board of Directors of the Company, a statement of all significant transactions and arrangements entered into by the unlisted subsidiary.

- 3.5 कंपनी, आम बैठक में विशेष संकल्प द्वारा सदस्यों के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपनी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के शेयरों का निपटान नहीं करेगी जिससे उसकी शेयरधारिता (या तो स्वयं या अन्य सहायक कंपनियों के साथ) 50% से कम हो जाती हो या सहायक कंपनी पर अपना नियंत्रण समाप्त नहीं करेगी सिवाय उन मामलों के जिनमें ऐसा विनिवेश न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था के तहत या दिवाला संहिता की धारा 31 के तहत विधिवत अनुमोदित संकल्प योजना के तहत किया गया हो और ऐसी घटना को संकल्प योजना अनुमोदित होने के एक दिन के भीतर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित न कर दिया जाता हो।

The Company, shall not, without the prior approval of the members by Special Resolution in the General Meeting, dispose of shares in its Material Subsidiary which would reduce its shareholding (either on its own or together with other Subsidiaries) to less than 50% or cease the exercise of the control over the Subsidiary except in cases where such divestment is made under a scheme of arrangement duly approved by a Court /Tribunal or under a resolution plan duly approved under section 31 of the Insolvency Code and such an event is disclosed to the recognized stock exchanges within one day of the resolution plan being approved.

- 3.6 कंपनी, विशेष संकल्प द्वारा सदस्यों के पूर्व अनुमोदन के बिना, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र आधार पर महत्वपूर्ण सहायक की परिसंपत्तियों के 20% से अधिक की राशि की परिसंपत्तियों को तब तक विक्रय, निपटान और पट्टे पर नहीं देगी जब तक कि विक्रय/निपटान/पट्टा किसी न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था की योजना के तहत हो या दिवाला संहिता की धारा 31 के तहत विधिवत अनुमोदित संकल्प योजना के तहत अनुमोदित हो और ऐसी घटना को संकल्प योजना अनुमोदित होने के एक दिन के भीतर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित न कर दिया जाता हो।

The Company, shall not, without the prior approval of the members by Special Resolution, sell, dispose and lease the assets amounting to more than 20% of the assets of the Material Subsidiary on an aggregate basis during a financial year unless the sale / disposal / lease is made under a scheme of arrangement duly approved by a Court /Tribunal or under a resolution plan duly approved under section 31 of the Insolvency Code and such an event is disclosed to the recognized stock exchanges within one day of the resolution plan being approved.

इस उप-विनियम में शामिल कोई भी बात लागू नहीं होगी यदि परिसंपत्ति की ऐसी बिक्री, निपटान या पट्टे पर देना सूचीबद्ध स्वत्व की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच हो।

Nothing contained in this sub-regulation shall be applicable if such sale, disposal or lease of assets is between two wholly-owned subsidiaries of the listed entity.

4.0 प्रकटन / Disclosure

- 4.1 कंपनी अपनी मंडल की रिपोर्ट में अधिनियम और सूचीबद्धता के विनियमों के तहत यथा आवश्यक इस नीति के विवरण प्रकट करेगी। यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की जाएगी और इसका एक वेब लिंक मंडल की रिपोर्ट में दिया जाएगा।

The Company shall disclose in its Board's report, details of this Policy as required under the Act and the Listing Regulations. This Policy shall be disclosed on the Company's website and a web link thereto shall be provided in the Board's report.

- 4.2 कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के तहत यथा आवश्यक, बीईएल की सहायक कंपनियों से संबंधित पर्याप्त प्रकटीकरण कंपनी द्वारा किया जाएगा।

Adequate disclosure pertaining to the Subsidiary Companies of BEL, as may be required under the provisions of Companies Act, 2013, SEBI Listing Regulations, 2015, and DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs, shall be made by the Company.

5.0 परिसीमन और संशोधन / Limitation and Amendment

- 5.1 इस नीति के प्रावधानों और इस अधिनियम या सूचीबद्धता के विनियमों या किसी अन्य संवैधानिक अधिनियमों, नियमों में संघर्ष की स्थिति में, ऐसे अधिनियम या सूचीबद्धता विनियमों या संवैधानिक अधिनियमन के प्रावधान, नियम इस नीति पर लागू होंगे। इस संबंध में सूचीबद्धता विनियम, अधिनियम और/या लागू कानूनों में कोई अनुवर्ती संशोधन/आशोधन यथावश्यक परिवर्तनशील सहित इस नीति पर लागू होगा।

In the event of any conflict between the provisions of this Policy and of the Act or Listing Regulations or any other statutory enactments, rules, the provisions of such Act or Listing Regulations or statutory enactments, rules shall prevail over this Policy. Any subsequent amendment / modification in the Listing Regulations, Act and/or applicable laws in this regard shall be mutatis mutandis apply to this Policy.

6.0 प्रभावी तारीख और समीक्षा / Effective Date & Review

- 6.1 यह संशोधित नीति 12 दिसंबर, 2024 से प्रभावी होगी और समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा के अधीन होगी।

The amended Policy shall be effective from 12th December, 2024 and is subject to review by the Board of Directors from time to time.

- 7.0 यह कार्यालय आदेश पिछले कार्यालय आदेश सं. प्रका/015/001 दिनांक 11.03.2024 को अधिक्रमित करता है।
This Office Order supersedes the earlier Office Order No. HO/015/001 dated 11.03.2024.

श्री. रामकुमार
29.03.25
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
GENERAL MANAGER (HR)
श्री. २२

ईडी / जीएम / सीटीओ / सीएस	EDs / GMs / CTOs / CS
यूनिट एचआर वित्त / प्रमुख	UNIT HR / FINANCE HEADS
आरओ / एमसी प्रमुख	RO / MC HEADS

सीएमडी	डी (ओ यू)	डी (एफ)	डी (एच आर)	डी (मार्केटिंग)	डी (बीसी)	डी (आर एंड डी)	सीवीओ
CMD	D(OU)	D(F)	D(HR)	D(MKTG)	D(BC)	D(R&D)	CVO